कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक–600/मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 08, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्र वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या–0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित 14.5603हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में। (आनॅ लाईन प्रस्ताव–FP/UP/Road/118819/2021)

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ.सी./669, दिनांक 04.11.2022
2–आपका कार्यालय पत्रांक–1608/11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, दिनांक 07.11.2022
3–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ.सी./254, दिनांक 06.09.2024
4–आपका कार्यालय पत्रांक–802/11–सी–FP/UP/Road/118819/2021, दिनांक 23.09.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 04.11.2022 द्वारा 28 (अठ्ठाइस) शर्तों के अधीन जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र को आर०एस०रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चौनेज संख्या 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 318/रेनुकूट/15–295 दिनांक 27.07.2024 द्वारा इस कार्यालय मे प्रेषित की गयी जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या–602/मी०क्षे०/33 दिनांक 06.08.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार, संदर्भित पत्र दिनांक–06.09.2024 द्वारा दो बिन्दुओ पर माँगी गयी सूचना के क्रम प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या–515/मी0क्षे0/33, दिनांक 01.08.2025 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में प्रेषित किया गया था, जिसमें कुछ बिन्दु के छुट जाने के कारण पुनः संशोधित अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक–439/रेनुकूट/15–295 दिनांक 07.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित सूचना एतद्सह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज–2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– 600 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

पत्रांक–५३१ / रेनुकूट / 15–295 दिनांक,रेनुकूट,अगस्त, ०७, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध मे । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक– 04.11.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1608/11–सी– FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक– 07.11.2022
3–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/254 दिनांक– 06.09.2024
4–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 802/11–सी– FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक– 23.09.2024
5–इस कार्यालय का पत्रांक–343/रेनुकूट /15–295 दिनांक– 31.07.2025

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 04.11.2022 द्वारा 28 (अठ्ठाइस) शर्तो के अधीन जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र को आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक–04.05.2024 एवं 05.07.2024 द्वारा प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–318/रेनुकूट/15–295 दिनांक– 27.07.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा मे प्रेषित की गयी। मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या–602/मी0क्षे0/33/मीरजापुर दिनांक–06.08.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/254 दिनांक– 06.09.2024 द्वारा निम्न बिन्दुओ पर सूचना मॉगी गयी जो इस कार्यालय के पत्र संख्या–343/रेनुकूट /15–295 दिनांक– 31.07.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में प्रेषित किया गया, जिसमें कुछ विन्दु के छुट जाने के कारण पुनः संशोधित अनुपालन आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्र0सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/254 दिनांक– 06.09.2024 में दिये गये बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	As per conditionno. 04 of In-principal approval, A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under	इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–कटौधी की 6.5600 हे0 एवं वहेराडोल की 8.0003 हे0 कुल 14.5603 हे0 गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

Scanned with CamScanner

	the relevant section of the State Forest Act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसका असाधारण गजट संख्या–11/81–2 2025–29(11)–2025 दिनांक–21.07.2025 भा0व0अधि0 1927 की धारा 29 द्वारा जारी किया गया है। गजट की प्रति संलग्न है ।
2	As per conditionno. 10 of In-principal approval, No violation of FCA certificate from concerned DFO shal be provided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नही किया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनवद्धता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक परियोजना में विधिवत स्वीकृति (स्टेज–2) जारी करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट

संख्या– 431 अ/सन दिनांकित ।

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

Scanned with CamScanner

संख्या-1454/81-2-2025

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2025

विषयः- जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम कटौधी की 6.5600 हे0 एवं बडेराडोल की 8.0003 हे0 कुल 14.5603 हे0 गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-315/11-बी-6 (धारा-29), दिनांक 30.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम कटौधी की 6.5600 हे0 एवं बडेराडोल की 8.0003 हे0 कुल 14.5603 हे0 गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना दिनांक 21-07-2025 की असाधारण गजट में प्रकाशित प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

संलग्नक अधिसूचना के गजट की प्रति

भवदीय,

Digitally signed by
VINAI KUMAR PATHAK
Date: 24-07-2025
12:23:00

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

क्रम-संख्या—112

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्शेसनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025
आषाढ़ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2

संख्या 11/81-2—2025-29(11)-2025
लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0—117

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	परगना/ तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	दुद्धी	कटौंधी	56मि	6.5600	उत्तर—गाटा संख्या—15, 12 व गाटा संख्या 56 का शेष भाग। पूरब—गाटा संख्या—533, 537 व गाटा संख्या 56 का शेष भाग। दक्षिण—गाटा संख्या—56 का शेष भाग। पश्चिम—गाटा संख्या—56 का शेष भाग।

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	दुद्धी	वहेराडोल	447क मि	0.0003	उत्तर–गाटा संख्या–360, 359, 448, 355, 354, 281, 275 पूरब–गाटा सख्या–447 का शेष भाग। दक्षिण–गाटा संख्या–447 का शेष भाग। पश्चिम–गाटा संख्या–273, 275 व गाटा संख्या–447 का शेष भाग।
			योग	14.5603	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/LXXXI-2–2025-29(11)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 11/LXXXI-2–2025-29(11)-2025
Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Pargana /Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
Sonebhadra	Dudhi	Kataudhi	56 Mi	6.5600	North-Khasra No. 15, 12 and rest area of Khasra No. 56. East-533, 537 and rest area of Khasra No. 56. South-Rest area of Khasra No. 56. West-Rest area of Khasra No. 56.

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5	6
Sonebhadra	Dudhi	Baheradol	447 Ka MI	8.0003	North- Khasra No. 360, 359, 448, 355, 354, 281, 275. East- Rest area of Khasra No. 447. South- Rest area of Khasra No. 447. West- 273, 275 and Rest area of Khasra No. 447.
			Total	**14.5603**	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

Scanned with OKEN Scanner

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तो का वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner